रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली मंगलवार, फरवरी 13, 1973 माघ 24, 1894
No. 36] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 1973/MAGHA 24, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 13th February 1973

SUBJECT.—*Transfer of imports/exports effected under Indo-Afghan Trade Arrangement period 1971-72.*

No. 25-ITC(PN)/73.—Attention is invited to Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 93-ITC(PN)/71, dated 31st July, 1971, and subsequent Public Notice No. 10-ITC(PN)/72 dated 22nd January, 1972, and Public Notice No. 152-ITC(PN)/72 dated 25th October, 1972.

2. In terms of para 11 of the Public Notice No. 93-ITC(PN)/71, dated 31st July, 1971, facilities, were provided to the "Approved Importers" to make 'advance' exports to Afghanistan, if they so desired. "Approved Importers" were obliged to ensure that the ratio of exports between traditional and non-traditional items, namely 75 per cent : 25 per cent was strictly adhered to while making 'advance' exports. These 'advance' exports were to be counter-balanced by imports of fresh fruits by 30th November, 1972, *vide* Public Notice No. 152-ITC(PN)/72, dated 25th October, 1972.

3. "Approved Importers" who have either failed to effect 'advance' exports in the required proportion of 75 per cent : 25 per cent as between traditional and non-traditional items or, having made the advance exports in the required proportion, failed to counter-balance their 'advance' exports by imports of fresh fruits, by the crucial date, *i.e.* 30th November, 1972, are not eligible for issue of any C.C.P. However, in order to achieve the counter-balancing of 'advance' exports, they will be allowed to transfer their 'advance' exports, effected during 1971-72 period, to

those parties who have imported fresh fruits from Afghanistan during March 1972-February, 1973; and have necessary import balance to their credit. This facility will not, however, absolve the concerned "Approved Importers" of the responsibility of their 'advance' exports having a minimum proportion of 25 per cent in respect of non-traditional goods. Therefore, in cases where the 'advance' exports were not made by the "Approved Importers" in the required proportion of 75 per cent: 25 per cent as between traditional and non-traditional goods, they may acquire, by transfer, from an exporter, who has surplus exports to his credit in respect of goods of the concerned category, i.e. traditional or non-traditional, as the case may be.

4. Transfers under paragraph 3 above will be subject to the following conditions:—

(i) The transferers, *i.e.* the exporter who made advance exports during 1971-72/the exporter who transfers surplus exports to his credit shall not be eligible to take into account the exports so transferred for any benefit under the Indo-Afghan Trade Arrangement during the current or future periods.

(ii) The prescribed export obligation during the current period, *i.e.* March 1972—February 1973, is 50 per cent: 50 per cent as between Schedule B-I and B-II items. Therefore, without prejudice to whatever action as may be taken against the transferee in the event of his failure to discharge his counter-export obligation in the aforesaid proportion *i.e.* 50 per cent : 50 per cent during the current period, this default shall also render the transferer exporter who had made the 'advance' exports during 1971-72 Trade Arrangement period, liable to action under the import/export control and foreign exchange orders, rules and regulations.

5. In the case of importers, who had effected imports of fresh fruits from Afghanistan during 1971-72 trade arrangement period, the last date for fulfilment of counter-export obligation in the required proportion (i.e. 75 per cent : 25 per cent as between traditional and non-traditional items), expired on 31st July, 1972. Such of the importers who had made exports equivalent to the total value of their imports upto 31st July, 1972, but the proportion of their non-traditional exports was less than the prescribed minimum of 25 per cent, will be allowed to transfer a part of their exports of traditional goods to parties who have imported fresh fruits from Afghanistan during March 1972—February 1973 trade arrangement period; and who have still to make their counter-balancing exports. Such transfers will result in creating an import balance with the transferers against which they should acquire, by transfer, the export of non-traditional goods from other exporters who have necessary surplus to their credit, so as to make up the shortfall in the exports of non-traditional goods. The transfer will be subject to the following conditions:—

(i) The transferers, *i.e.* the "Approved Importer" who made imports of fresh current period, *i.e.* March 1972—February 1973, is 50 per cent: 50 per exports of traditional goods/the exporter, who transfers his surplus exports of non-traditional goods, will not be eligible to take into account the exports so transferred for any benefit under the Indo-Afghan Trade arrangement during the current or future periods.

(ii) The prescribed export obligation under the trade arrangement for the current period, i.e. March 1972—February 1973, is 50 per cent: 50 per cent as between Schedule B-I and B-II items. The eligible exporters for the current trade arrangement year, who transfer their non-traditional exports, and the eligible importers for the current trade arrangement year, who acquire exports of traditional goods under these arrangements, shall not be absolved of their obligations to counter-balance their imports by exports upto the required proportion of 50 per cent : 50 per cent. In the event of their failure to discharge their export obligation in the aforesaid proportion, *i.e.* 50 per cent : 50 per cent during the current period, both transferee and the transferer shall be liable to action under the import/export control and foreign exchange orders, rules and regulations.

6. Transfers under this Public Notice will be allowed only upto 28th of February, 1973 failing which the defaulters will be liable to action under import/export control and foreign exchange orders, rules and regulations.

7. It may be clarified that in case the transfers are completed before 28th February 1973 and the export obligation in respect of the current period, *i.e.* March,

1972—February, 1973, has been fulfilled in the required proportion (i.e. 50 per cent: 50 per cent as between Schedule B-I and B-II items) before 28th February, 1973, there will be no bar to the concerned approved importers applying for issue of C.C.Ps. during the current period, if otherwise eligible.

K. S. NARANG,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1973

विषय :—1971-72 अवधि के लिए भारत अफगान व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभावी किए गए आयातों/निर्यातों का हस्तातंरण ।

संख्या. 25—आई० टी० सी० (पीएन)/73.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या. 93—आई० टी० सी० (पीएन) / 71, दिनांक 31 जुलाई, 1971 तथा, अनुवर्ती सार्वजनिक सूचना संख्या. 10—आई०टी०सी० (पीएन) / 72, दिनांक 22 जनवरी 1972 तथा सार्वजनिक सूचना संख्या : 152 आई० टी० सी० (पीएन) / 72, दिनांक 25 अक्तूबर, 1972 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. सार्वजनिक सूचना संख्या. 93—आई०टी०सी० (पीएन)/72, दिनांक 31 जुलाई, 1971 की कंडिका 11 के अनुसार "अनुमोदित आयातकों" को यह सुविधाएं दी गई थी कि यदि वे चाहें तो अफगानिस्तान को अग्रिम निर्यात कर सकते है । "अनुमोदित आयातकों" को इस बात का सुनिश्चित करने के लिए अनुग्रहीत किया गया था कि "अग्रिम निर्यात" करते समय परम्परागत तथा गैर परम्परागत मदों के बीच के अनुपात का अर्थात् 75 प्रतिशत: 25 प्रतिशत का सही सही पालन किया गया है । इस प्रकार के 'अग्रिम' निर्यात ताजे फलों के आयातों द्वारा 30 नवम्बर, 1972 तक प्रतिसंतुलित किए जाने थे । देखिए सार्वजनिक सूचना संख्या : 152—आई० टी० सी० (पीएन)/72, दिनांक 25 अक्तूबर, 1972।

3. ऐसे "अनुमोदित आयातक" जो या तो परम्परागत तथा गर परम्परागत मदों के बीच अपेक्षित अनुपात यानी 75 प्रतिशत : 25 में 'अग्रिम' निर्यात को प्रभावी करने में असफल रहे हैं, या जिन्होंने अपेक्षित अनुपात में अग्रिम निर्यात तो कर लिए किन्तु अपने "अग्रिम निर्यातों" को अन्तिम तिथि यानी 30 नवम्बर, 1972 तक ताजे फलों के आयातों द्वारा प्रतिसंतुलित करने में असफल रहे हैं, वे किसी भी सीमा शुल्क निकासी परमिट के जारी होने के लिए पात्र नहीं है । लेकिन 'अग्रिम' निर्यातों का प्रतिसंतुलन प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने ऐसे अग्रिम निर्यातों को जिन्हें उन्होंने 1971—72 अवधि के दौरान प्रभावी किया था, उन पार्टियों को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी जाएगी जिन्होंने मार्च, 1972—फरवरी, 1973 के दौरान अफगानिस्तान से ताजे फलों का आयात किया है और उन के क्रेडिट में आवश्यक आयात बकाया है । लेकिन यह सुविधा संबद्ध—"अनुमोदित आयातकों" को गैर परम्परागत माल के सम्बन्ध में उनके 25 प्रतिशत के न्यूनतम अनुपात में 'अग्रिम' निर्यातों की जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं दिलायेगी । इसलिए ऐसे मामलों में जहां "अनुमोदित आयातकों" द्वारा परम्परागत तथा गैर-परम्परागत मदों के बीच 75 प्रतिशत. 25 प्रतिशत के अपेक्षित अनुपात में अग्रिम निर्यात नहीं पूरे किए गए थे वे इसे हस्तातंरण द्वारा ऐसे निर्यातक से प्राप्त कर सकने , जिसके पास अपने खाते में सम्बद्ध श्रेणी अर्थात् परम्परागत अथवा गैर परम्परागत जसे भी मामला हो, के माल के सम्बन्ध में फालतू निर्यात पड़ा है ।

4. उपर्युक्त कंडिका 3 के अन्तर्गत हस्तांतरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :—

(1) हस्तांतरणकर्त्ता अर्थात् वह निर्यातक, जिसने 1971–72 के दौरान अग्रिम निर्यात किए। वह निर्यातक जो अपने खाते में अतिरिक्त निर्यातों को हस्तांतरित करता है, वह वर्तमान अथवा आगामी अवधियों के दौरान भारत-अफगान व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत किसी भी लाभ के लिए ऐसे हस्तांतरित किए गए निर्यातों को लेखे में गिनने का पात्र नहीं होगा ।

(2) वर्तमान अवधि अर्थात्, मार्च, 1972–फरवरी, 1973 के दौरान अनुसूची बी-1 तथा बी-2 की मदों के बीच निर्धारित निर्यात दायित्व 50 प्रतिशत : 50 प्रतिशत है । इसलिए वर्तमान अवधि के दौरान उपर्युक्त अनुपात अर्थात् 50 प्रतिशत :50 प्रतिशत में अपने प्रति-निर्यात दायित्व के अनुपालन में असफल रहने पर हस्तांतरित के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा सकती है उसको ध्यान में रखे बिना इस दोष पर उस हस्तांतरणकर्त्ता निर्यातक जिसने 1971–72 व्यापार व्यवस्था अवधि के दौरान 'अग्रिम' निर्यात किया था, के विरुद्ध भी आयात / निर्यात नियंत्रण और विदेश मुद्रा विनिमय आदेशों, नियमों और विनियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी ।

5. जिन आयातकों ने 1971–72 व्यापार व्यवस्था अवधि के दौरान अफगानिस्तान से ताजे फलों का आयात कर लिया था उनके मामले में अपेक्षित अनुपात (अर्थात परम्परागत और गैर-परम्परागत मदों के बीच 75 प्रतिशत :25 प्रतिशत अनुपात) में प्रति-निर्यात दायित्व को पूरा करने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 1972 को समाप्त हो गई । जिन आयातकों ने 31 जुलाई, 1972 तक अपने आयातों के कुल मूल्य के बराबर निर्यात कर लिए थे परन्तु उन का गैर-परम्परागत मदों का निर्यात 25 प्रतिशत न्यूनतम निर्धारित अनुपात से कम था ऐसे आयातकों के अपने गैर-परम्परागत माल के निर्यातों को ऐसी पार्टियों को हस्तान्तरित करने की अनुमति दी जायगी जिन्होंने मार्च, 1972–फरवरी, 1973 व्यापार व्यवस्था अवधि के दौरान अफगानिस्तान से ताजे फलों का आयात किया है और जिन्हें अपने प्रति-संतुलन निर्यात अभी करने बाकी हैं । ऐसे हस्तान्तरणों का यह परिणाम होगा कि हस्तान्तरणकर्त्ताओं को जो गैर– परम्परागत माल के निर्यात का आयात संतुलन प्राप्त करना है उसकी कमी को अन्य निर्यातकों जो अपने क्रेडिट में अतिरिक्त आवश्यक गैर-परम्परागत माल रखते हैं, से पूरी कर सके । हस्तान्तरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :—

(1) हस्तान्तरणकर्त्ता अर्थात "अनुमोदित आयातक" जिन्होंने 1971–72 के दौरान ताजे फलों का आयात किया और जो परम्परागत माल के अपने अतिरिक्त निर्यातों के एक भाग को ऐसे निर्यातक को हस्तान्तरित करना चाहते हैं जो गैर-परम्परागत माल के अपने अतिरिक्त निर्यातों को हस्तान्तरित करना है वे वर्तमान या भविष्य अवधियों के दौरान भारत-अफगान व्यापार व्यवस्था के अधीन इस प्रकार हस्तान्तरित किए गए निर्यातों के लिए किसी प्रकार के लाभ को हिसाब में लेने के पात्र नहीं होंगे ।

(2) चालू अवधि अर्थात मार्च 1972—फरवरी, 1973 के लिए व्यापार व्यवस्था के अधीन अनुसूची बी–1 और बी–2 की मदों के बीच निर्धारित निर्यात आभार 50 प्रतिशत :50 प्रतिशत है । चालू व्यापार व्यवस्था वर्ष के लिए पात्र निर्यातक और चालू व्यापार व्यवस्था वर्ष के लिए पात्र आयातक जो इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत परम्परागत माल के निर्यातों को प्राप्त करेंगे वे निर्यातों द्वारा अपने आयातों को 50 प्रतिशत : 50 प्रतिशत के अपेक्षित अनुपात तक प्रतिसंतुलित करने के लिए अपने

दायित्व से विमुक्त नहीं कर दिए जायेंगे। चालू अवधि के दौरान अपने पूर्वोक्त अनुपात अर्थात 50 प्रतिशत : 50 प्रतिशत का अनुपालन करने में असफल रहने पर हस्तान्तरी और हस्तान्तरणकर्ता दोनों पर आयात/निर्यात नियंत्रण और विदेशी मुद्रा विनिमय आदेशों, नियमों और विनियमों के अधीन कार्रवाई की जायगी।

6. इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत केवल 28 फरवरी, 1973 तक हस्तांतरण स्वीकृत होंगे, असफल होने पर चूककर्त्ता के प्रति आयात/निर्यात नियंत्रण तथा विदेशी मुद्रा विनिमय आदेशों नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

7. यह स्पष्टीकरण किएं जाएँ कि यदि हस्तांतरण 28 फरवरी, 1973 से पूर्व पूर्ण हो जाते हैं और वर्तमान अवधि यानी मार्च, 1972—फरवरी, 1973 के सम्बन्ध में अपेक्षित अनुपात (यानी अनुसूची बी-1 तथा बी-2 मदों के बीच 50 प्रतिशत : 50 प्रतिशत) में निर्यात दायित्व पूरे कर लिए गए हैं तो ऐसे सम्बद्ध अनुमोदित आयातकों के लिए यदि वे अन्यथा रूप से पात्र हैं, वर्तमान अवधि के दौरान सीमाशुल्क निकासी परमिटों के जारी करने के लिए आवेदन करने पर कोई रोक नहीं होगी।

के० एस० नारंग,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973